LOK SABHA

Tuesday, May 12, 1970/*Vaisakha* 22, 1892 (*Saka*)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. SPEAKER in the Chair]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

PROFITS IN INDUSTRIES

+

SHRI KANWAR LAL GUPTA :
SHRI SURAJ BHAN :
SHRI SHARDA NAND :
SHRI ABDUL GHANI DAR :

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government have made any survey to find out industries, Indian and foreign, which are making huge profits;

(b) if so, the details thereof;

(c) the steps taken by Government to check the rise in prices of commodities of daily use; and

(d) the steps taken by Government in the last six months to check the prices of such commodities ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI BHANU PRAKASH SINGH) : (a) to (d). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

The Reserve Bank of India conducted a study on the finances and working of 1333 non-Government Public Limited Companies relating to the year 1965-66 and 1501 such companies relating to the year 1966-67. They also undertook another study of 501 private limited companies relating to the year 1965-66 and 701 such companies relating to the year 1966-67. The result of these studies has been published in the Reserve Bank of India Bulletin for August, 1969 and November, 1969 respectively.

2. The above studies included working out of the gross and net profit (profits after tax as percentage of net worth) in respect of various industries. In the case of Public Limited Companies during 1966-67 the average profits after tax as percentage of net worth was 8.8%; the highest percentage was in the case of silk and rayon textiles (18.6%), followed by cement (14.9%), chemicals (13.9%). In the case of Private Limited Companies for the same year the average profitability ratio was about 11%, the highest being in metals, chemicals and products thereof (14.3%), followed by food stuffs, textiles, tobacco, leather and products thereof (12.5%).

3. In order to arrest any undue rise in the prices of commodities of daily use, various measures are taken, such as.

(1) sustained efforts to accelerate production of agricultural as well as industrial commodities to meet the demand; imports are resorted to, where necessary.

(2) Building up of buffer stocks.

(3) Organisation of public distribution system for commodities of mass consumption like foodgrains, sugar and milk.

(4) Imposition of price controls, either statutorily as in the case of vanaspati or informally as in the case of tyres and tubes, matches, soaps, etc.

(5) Making available essential commodities through cooperative channels like super bazars, consumer cooperative stores.

(6) Curbing excess demand through fiscal and monetary policies, such as tightening of bank advances in order to arrest speculative increases in prices.

श्री कंवर लाल गुप्त : अभी माननीय मंत्री महोदय ने बतलाया कि मैक्सिमम प्राफिट सिल्क और रेयान इंडस्ट्री में 18.6 परसेंट हुआ है, उसी तरह मेटल्स केमिकल्स और उस के प्रोडक्ट्स पर 14.3 परसेंट प्राफिट हुआ है। वास्तव में इन इंडस्ट्रीज में और कुछ और इंडस्ट्रीज में जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स है वह इस तरह से अपने अकाउंट्स को मैनोवर कर के मैनेज करते हैं कि प्रफिट कम दिखाई देता है और इस कारण से प्राफिट को कम बतलाते हैं, लेकिन अपने घर का खर्च एंटरटेनमेंट, कन्वेयन्स और निजी खर्च उसमें डाल देते हैं। दूसरा तरीका यह है कि अपने डाइरेक्टर्स वगैरह की सेलरी बहुत लम्बी चौड़ी बतलाते है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या वह कोई इस तरह का कानून बनायेंगे जिस के जरिये से प्राफिट पर सीलिंग हो जाये, यानी यह कि कोई इंडस्ट्री कितना मैक्सिमम प्राफिट ले सकेगी, परक्विजिट्स इतनी हो सकती है दूसरे यह कि मैक्सिमम सेलरी इतनी हो सकती है, इस से ज्यादा नहीं होगी, और अगर कोई कम्पनी इस से ज्यादा देगी तो प्राफिट केलकुलेट करते समय उस को काउंट नहीं किया जायेगा? वह इस तरह की सीलिंग बनायेंगे या नहीं, और, अगर नहीं, तो क्यों? क्योंकि अभी जो बयान दिया गया है उस से तो ज्यादा लाभ नहीं होगा।

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : यह तो माननीय सदस्य ने ठीक फरमाया कि इस वक्त कम्पनियां जो प्राफिट दिखलाती है वह खर्च निकाल कर दिखलाती हैं, जो कुछ डाइरेक्टर्स वगैरह को देना होता है, या कमिशन के हिसाब से देना होता है या परक्विजिट्स के हिसाब से देना होता है। इस के मुताल्लिक हम ने कुछ इंस्ट्रक्शन्स निकाले हैं जिस के जरिये से हम ने इन चीजों में काफी कमी की है। हम उम्मीद करते हैं कि इस की वजह से कुछ न कुछ फरक पड़ेगा, और कम्पनियों की आमदनी में इजाफा होगा। लेकिन जहां तक दूसरे सवाल का ताल्लुक है कि सीलिंग कर देनी चाहिये कि इस से ज्यादा प्राफिट कम्पनियों को नहीं करना चाहिये, यह बात जरा सोचने की है। इस में बहुत जल्दी करना ठीक नहीं है, क्योंकि जैसा मैं ने बतलाया कम्पनियों का ऐवरेज प्राफिट इनकम टैक्स देने के बाद करीब करीब 1 परसेंट के होता है। चन्द कम्पनियां ऐसी हैं जो 14 या 12 परसेंट तक प्राफिट कर रही हैं। इस पर सीलिंग कर देने से इंडस्ट्रीज का डेवेलपमेंट ज्यादा नहीं होगा। इस लिये हम को इस पर गौर करना होगा।

श्री कंवर लाल गुप्त : मंत्री महोदय ने अभी बतलाया कि कुछ बातों में जो खर्च होता है वह उन के पर्सनल कामों में न आये इस के लिये सरकार ने कुछ डाइरेक्शन्स दिये है। लेकिन जो डाइरेक्शन्स आप ने दिये हैं अगर कोई उन की अवहेलना करे, उन को न माने और अपने निजी खर्च को, डाइरेक्टर्स के निजी खर्च को कम्पनी के खर्च में डाले तो क्या आप उस के लिये क्रिमिनल प्रासिक्यूशन का कोई कानून बनायेंगे? तीसरी चीज यह कि हर साल 29 करोड़ रुपयों का फारेन इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर में होता है और 58 लाख रुपया सालाना नफे से और रायल्टी वगैरह की अलग अलग शक्ल में जाता है। इस कोलेबोरेशन के जरिये से कमोडिटीज की कास्ट बढ़ती जाती है। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या वह कोई ऐसा प्राविजन करेंगे। कि कोई फारेन कोलेबोरेशन न हो। वह ग्लोबल

टेंडर मंगायें और उन से कहें कि वह तीन साल में फैक्ट्री बना कर चले जायेंगे। बाद में सरकार उस को ले लेगी और इंडियन केपिटलिस्ट्स को आक्शन कर देगी? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन दोनों बातों पर विचार करेगी?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जहां तक सवाल के पहले हिस्से का ताल्लुक है, आप को मालूम है कि हम ने यह इंस्ट्रक्शन दिये हैं अन्डर कम्पनी ला प्राविजन्स। जब उस को कोई नहीं मानता तो वह वायोलेशन आफ कम्पनी ला होगा और उस के खिलाफ ऐक्शन लिया जायेगा। रहा यह कि उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन लाया जाय, यह सजेशन है और इस पर गौर किया जा सकता है।

SHRI RANGA : Criminal prosecutions? You do not have sufficient number of them?

SHRI F. A. AHMED : I say that it is a matter which can be considered.

SHRI RANGA : Is it worthwhile to be considered?

SHRI F. A. AHMED : When we consider it we may accept it or not accept it: that is a different matter altogether. It is a suggestion made by the hon. Member and I am prepared to consider that suggestion.

जहां तक दूसरे सवाल का ताल्लुक है, शायद आनरेबल मेम्बर को मालूम है कि जिस वक्त हम फारेन कोलेबोरेशन या इक्विटी पार्टिसिपेशन की इजाजत देते हैं उस वक्त देखते हैं कि उन का शेअर-होल्डिंग एग्जिस्टिंग कम्पनियों में कम हो। इस की हम कोशिश कर रहे हैं और इसी के जरिये से हम फारेन पार्टिसिपेशन कम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी चीजों में हमें सोफिस्टिकेटेड नो हाऊ की जरूरत है, उन की असिस्टेंस की जरूरत है। उस को हम वेलकम करते हैं—हमारी इंडस्ट्री के लिये लाजिमी है कि हम उस को वेलकम करें—ताकि हमारे यहां डेवेलपमेंट में कोई रुकावट न पड़े।

श्री कनार तिवारी : मंत्री महोदय ने जो बयान टेबल पर रखता है उस में यह दिया गया है कि :

"The Reserve Bank of India conducted a study on the finances and working of 1333 non-Government public limited companies relating to the year 1965-66 and 1501 such companies relating to the year 1966-67. They also undertook another study of 501 private limited companies relating to the year 1965-66 and 701 such companies relating to the year 1966-67.

मैं जानना चाहता हूं कि यह जो नम्बर दिये गये हैं प्राइवेट कम्पनियों के या नान-पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के, उन में ट्रैक्टर और टायर बनाने वाली कम्पनियां भी शामिल हैं या नहीं? यदि हैं तो उन का मार्जिन आफ प्राफिट क्या है, उस का कास्ट आफ प्रोडक्शन क्या है और ऐग्रीकल्चरिस्ट्स से उस की क्या कीमत चार्ज की जाती है?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : इस में मैनुफैक्चरिंग कम्तपनियां दी हुई हैं। इसके अलावा मेरे पास और इन्फार्मेशन नहीं है, लेकिन मैं बाद मे उस को दे सकता हूं।

SHRI HEM BARUA : May I know if the Government have succeeded in identifying the areas of idle capacity in industries, both in the private and the public sectors and, if so, may I know whether the Government have tried to plug the loopholes? Secondly, may I know whether these companies in the private and the public sectors who have idle capacity submit false reports to the Government and it is on the basis of these reports that the Government are formulating their policies?

SHRI F. A. AHMED : Recently we have undertaken an examination to identify the gap in production and also the idle capacity in various industries. For that purpose, from my Ministry letters have gone to all the other Ministries. We are waiting for replies from them to know what is the actual position.

SHRI HEM BARUA : What about the other part of the question, relating to false reports ?

SHRI F. A. AHMED : It is only on the basis of those replies that we shall be able to say whether the information given by the private sector is correct or not.

SHRI N. K. SOMANI : Both in terms of prices that are allowed to be charged by the retailers and manufacturers and in terms of the poor quality that is made available to the consumers, it becomes abundantly clear that there seems to be no Government in this country. There is a limb of your Ministry which is known as the Civil Supplies Organisation, which is supposed to keep a close check on prices and quality of goods of everyday use in the country. That was amply negatived when we heard of the pathetic tale by the Prime Minister's son. (*Interruption*). I am giving only one instance to prove the ineffectiveness of your policy—who was charged wrong prices on the day of the budget when buying petrol. In view of all this, may I know what steps you would like to take to have the enforcement agencies really working in the interests of the consumers of the country ?

SHRI F. A. AHMED: We are doing our best to impress upon all the manufacturers to improve their quality. I can say that as compared to earlier years, the quality of goods manufactured in our country is improving, and some of the goods are of such a good quality that they have an export market also outside our country. Then, we are insisting on many of these manufacturers to take the ISI mark so that they may be able to certify to the people that they are of good quality.

SHRI N. K. SOMANI: About the prices and quality: what are you doing to enforce reasonable prices?

SHRI F. A. AHMED: So far as prices are concerned, we have taken various steps. When we find that manufacturers are beyond control, then, under the Essential Commodities Act, we fix the prices and try to control it. Secondly, we have also set up a Bureau of Costs and Prices where we shall undertake the examination which will consider not only the quality but also the prices, and on that basis we shall take action.

SHRI AMRIT NAHATA: Is the Government aware that a foreign company which supplies Coca Cola, with a total investment of hardly Rs. 3 crores, makes a profit of Rs. 5 crores annually which are repatriated, which are sent abroad ? Their head office is in Rome, and they have five managers each having cars and bungalows. Is this article a necessity ? Will the Government explain how this huge profit is allowed to be repatriated, with such a small investment ?

SHRI F. A. AHMED : That was a collaboration agreement entered into long ago, and as a result of that agreement, whatever is repatriated has to be repatriated.

SHRI AMRIT NAHATA : Can't that agreement be changed ?

श्री झारखंडे राय : जो तालिका इन्होंने टेबल पर रखी है उसके मताबिक मैं जानना चाहता हूं कि कौन से उद्योग हैं जिस में औसत में मुनाफा सब से ज्यादा होता है और कौन से उद्योग हैं जहां मुनाफा सब से कम है––

अध्यक्ष महोदय : यह तो दिया हुआ है।

श्री झारखंडे राय : हमारे पास तो है नहीं।

अध्यक्ष महोदय : आप देख लें।

श्री झारखंडे राय : इस बात को देखते हुए कि खेती की पैदावार और उद्योगों की पैदावार में बेतालमेल बढ़ती हो रही है, इस वास्ते इन दोनों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाये हैं ? उन कदमों का क्या फल निकला है यह भी मैं जानना चाहता हूं।

पब्लिक सेक्टर में आज गड़बड़ी पैदा हो रही है। वहां मुनाफा कम होता है प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले में क्या यह सच नहीं है कि इसकी वजह यह है कि जो अधिकारी

उनके इंचार्ज बनाये जाते हैं, उनका पब्लिक सेक्टर में धेले भर भी विश्वास नहीं होता है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : किस इंडस्ट्री को कितना फायदा हुआ है कितना नुकसान, यह माननीय सदस्य स्टेटमेंट में देख सकते हैं।

जहां तक दूसरी बात का सम्बन्ध है बहुत से हमने एक्शन लिये हैं जिस की वजह से प्राइसिस को कंट्रोल करने में हमें काफी मदद मिली है।

श्री झारखंडे राय : पब्लिक सेक्टर में लोगों के रखे जाने के बारे में जो सवाल है उसका भी तो जवाब दें।

अध्यक्ष महोदय : वह रैलेवेंट नहीं है।

LIVING CONDITIONS OF HARIJANS IN DELHI

*1564. SHRI BAL RAJ MADHOK : Will the Minister of LAW AND SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about 7 lakhs people, mostly Harijans live in Katras and slums in Delhi in the most unhygienic conditions; and

(b) if so, the steps which have been taken to improve their living conditions as a social welfare measure during the last three years ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (DR. SHRIMATI PHULRENU GUHA) : (a) The exact number of persons living in Katras and slums in Delhi is not known.

(b) The following amounts were sanctioned under the Slum Clearance/Improvement Scheme in Delhi during the last three years :—

1967-68	Rs. 44.85 Lakhs
1968-69	Rs. 39.00 lakhs
1969-70	Rs. 40.00 lakhs plus 25.00 lakhs provided for improvement of Katras under the Scheme of "Improvement of congested localities".

श्री बलराज मधोक : यह केन्द्रीय सरकार का सोशल वैलफेयर डिपार्टमेंट है। आप समाजवाद की बात करते हैं। लेकिन आपको पता नहीं है कि दिल्ली में कितने कटड़े हैं और कितने लोग उन में रहते हैं। इस स्थिति के रहते हुए दिल्ली या देश का कामनमैन इन से कोई अपेक्षा करे, यह असम्भव बात है।

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल पूछें।

श्री बलराज मधोक : इस सवाल को दिये हुए कोई दो महीने हो गए हैं। इस अर्से में ये जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते थे ?

मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि दिल्ली में सात लाख के करीब लोग कटड़ों में रहते हैं और पांच लाख झुग्गी झोंपड़ी कालोनीज में रहते हैं ? क्या यह भी सच नहीं है कि इन कटड़ों के अन्दर कोई भी पानी की सुविधा, ट्टी की सुविधा, नालियों आदि की पुविधा नहीं है और यहां रहने वाले लोग बिल्कुल हैवानों की जिन्दगी व्यतीत करते हैं ? सोशल वैलफेयर के नाम पर, हरिजन वैलफेयर के नाम पर इन कटड़ों की ओर इन स्लम्ज की स्थिति को इम्प्रूव करने के लिए आपने इन पिछले तीन सालों में क्या काम किया है ? केवल फिगर्ज दे देने से या नारे लगा देने से काम नहीं बनेगा।

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE (SHRI GOVINDA MENON) : This is not a subject dealt with in the Department of Social Welfare. This is a subject with which the Ministry of Works and Housing is concerned. Since this information was with us, we supplied this information. I would request you to ask the Works Minister to answer this.